MR. SPEAKER: I am now on my legs. No point of order is allowed under the rules during question hour. The full answer has been given to this question and so, I am not allowing any further question.

श्री राज नारायण : श्रीमन्, अब मुझे क्या करना है यह बताया जाय । मैं कोई पार्लियामेंट का नया सदस्य नहीं हूं । आप कृपा करके हमें गाइड करें कि अब मुझे क्या करना हैं ? या तो आप एक व्यवस्था इस सदन में कर दीजिए कि मंत्री लोग पूरी तैयारी के साथ न आएं और सदस्यों को गुमराह कर के चले जाया करें ।

मैं एक जानकारी आप के द्वारा दे देना चाहता हूं पहले सवाल के बारे में जो उन्होंने पूछा था—

MR. SPEAKER : I have called Q. No. 666.

Stocks of mis-labelled and mis-branded injections

*666. SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether the Food and Drug Administration, Bombay had seized large stocks of mis-labelled and mis-branded injections manufactured and distributed by a Nagpur firm;

(b) if so, the names of medicines and injections seized; and

(c) whether Government have got any plan for surprise checks of firms manufacturing medicines to prevent adulteration?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) मैसर्स सोसाइटी जनरल और मेडिकल स्टोर, बाइकुल्ला, बम्बई को मेसर्स विम्सन्स इंस्टीट्यूट मेडिका, नागपुर द्वारा बनाए गए एमिनो फिलाइन इंजेक्शन आई० पी० (बैच नं० 144) के 50 एम्पूलों का बक्सा मिला जिस बक्से पर निम्नलिखित लेबल लगा था "एमिनोफिलीन इंजेक्शन आई० पी० बैच नं० 144, प्रत्येक 10 मिली लि० वाले 50 एम्पूल" । जब बक्सा खोला गया तो उन्होंने देखा कि उसके अन्दर जो एम्पूल थे उन पर निम्नलिखित लेबल लगे हुए थे "कैल्सियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन आई० पी० प्रति 10 प्रतिशत 10 मि० लि०, बैच नं० 146" । बाद में किए गए विश्लेषण से पता चला कि इन एम्पूलों में एमिनोफिलिन था, यानी उस में थोड़े में लिखा था कैल्सियम ग्यूकोनेट मगर जब खोल कर देखा गया तो उसमें था "एमिनोफिलिन" ।

(ग) खाद्य और औषधि प्रशासन, महाराष्ट्र के अधिकारियों ने इन दवाइयों को आगे बांटने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है और नागपुर फर्म की निर्माणशाला के भी कई निरीक्षण किए हैं । औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उपबन्धों और उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत औषधि निरीक्षकों की दवाइयां बनाने वाली फर्मों के अचानक निरीक्षण करने होते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि औषधियां ठीक स्थिति में बनाई जाएं और उन्हें बनाने की प्रक्रिया में आवश्यक नियंत्रण बरते जाएं और कच्चे माल और तैयार माल का परीक्षण किया जाए ।

SHRI VAYALAR RAVI: I hope you will agree with me that it is a very serious matter. Unfortunately I could follow only half of the reply. But I do not want to insist on the language question now. I would like to quote only one sentence from a press report.

> "FDA sources said that the mis-branded injection if administered, would have caused instantaneous death of the patients."

This is very serious. The medicines have been mislabelled and sent to the different parts of the country. We are more concerned about the steps the Government will be taking. This is not the first occasion that this House has had to see this kind of thing. Even in the last Parliament, a matter concerning a Kanpur firm was raised. The Government said "we will make enquiries." But they escaped..

MR. SPEAKER: The longer the question the longer will be the answer. (*Interruptions*)

SHRI VAYALAR RAVI: I am putting the question. Every one of us is concerned with this. Mr. Sanjeevi Rao, a Member of Parliament took his wife to a hospital and she died on the spot after injection within five minutes. It is a very serious matter. The reply of the minister to part (c) is evasive and not concrete. I want to know whether the government will amend the Drugs Act to the extent that the inspectors and other officers can carry out surprise checks and inspections of big firms including muti-nationals, seize the medicines and take penal action against the concerned people, including the manufacturers, Chairman and Managing Director of the company?

श्री राज नारायण : श्रीमन्, अब मैं आपसे पहले विनम्र निवेदन कर दूं कि इस प्रश्न के पूछने में कितना समय लगा ? हम तो नहीं बोलते कुछ लेकिन मैं चाहता हूं कि सम्मानित सदस्य अधिक से अधिक जानकारी हम से लें। हम मंत्री हैं, सरकार का पैसा खर्च होता है, हम सरकार के नौकर हैं इसलिए हमारा कर्त्तव्य है कि हम जानकारी दें। (**व्यवधान**) एमिनोफिलीन किस काम में आती है ? सांस की नली जो सिकुड़ जाती है उसको चौड़ी करने के काम में आती है ताकि सांस लेने में कोई दिक्कत या परेशानी न हो। यह तो काम हैं एमिनोफिलीन का। कैलशियम ग्लूकोनेट कैलशियम की कमी दूर करने के काम में आती हैं।

SHRI R. V. SWAMINATHAN: That was not his question. He asked whether you are going to take action against these people and whether you are going to amend the Act.

श्री राज नारायण : सवाल यह था कि दवाई के परिवर्तन से मृत्यु हुई इसलिए यह बताना मेरा कर्त्तव्य है कि दवाई के क्या गुण है। क्या इन दोनों दवाइयों के ऐसे गुण हैं कि उनमें मृत्यु हो सकती है ? इसलिए मैं बताता हूं कि एमिनोफिलीन के क्या गुण हैं और कैलशियम ग्लूकोनेट के क्या गुण हैं। इसमें मृत्यु का प्रश्न नहीं आता।

हां, हमारे मित्र ने एक बात कानपुर के ग्लूकोज़ के बारे में कही और मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं। इसके लिए मैं उनकी तारीफ करता हूं। कानपुर में जिस बुरे ढंग से ग्लूकोज़ की सुई लगाई गई और बड़े पैमाने पर मृत्यु हुई उसकी अच्छी जांच-पड़ताल, मुझे पता नहीं, क्यों नहीं की गई। मेरी अपनी जानकारी यह है कि उसके जो कर्ता-धर्ता बानी-मुबानी थे वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र स्वरूप जी थे। वे कांग्रेस पार्टी के एक बड़े मशहूर नेता थे। उनके बीच में आ जाने से उसकी जांच-पड़ताल दबा दी गई और कोई समुचित कार्यवाही नहीं की गई।

माननीय सदस्य ने यह भी पूछा कि ऐक्ट को अमेण्ड करने के लिए मैं क्या करने जा रहा हूं तो ऐक्ट को अमेण्ड करने के लिए मस्विदा तैयार कर लिया है। अभी तो मौजूदा कानून में जहां कहीं इस तरह की बंगलिंग देखी जाए उसमें एक से लेकर दस साल की सज़ा की गुंजायश है मगर हम एक अमेंडमेंट प्रसारित करने जा रहे हैं कि अगर दवा की गड़बड़ी से इन्सान की मृत्यु हो तो जान के बदले जान--यह बात होनी चाहिए। आप तो श्रीमन्, जज रह चुके हैं, आप जानते हैं 302 दफा उसी पर चलती है जिसके ऊपर साबित हो चुका हो कि उसने दूसरे की जान ली है। अगर दवा की खराबी से किसी की जान जाती है तो जिसने दवा की गड़बड़ी पैदा की उसकी भी जान जानी चाहिए। तो इस तरह का अमेंण्डमेंट हम प्रपोज़ कर रहे हैं कि दवा की खराबी से किसी की मृत्यु हो तो उसके दोषी व्यक्ति को कैपिटल पनिशमेंट देना चाहिए।

SHRI VAYALAR RAVI: I can assure the hon. Minister who is sitting on that side because he made a reference to the Congress. You punish anybody who is corrupt. We support you. My question is that the Drug Act provided Inspectors to inspect the firms and may I know from the hon. Minister whether he is aware of this. These inspectors who are expected to inspect and make surprise checks are lacking in their duty and because they are subjected to some kind of corrupt practice, will you amend the Act in Such a way that even the Managing Director of a firm will be punished and also the inspectors who are not discharging their duties properly will be punished?

श्री राज नारायण : मैं सम्मानित सदस्य के इस सुझाव से अर्ध-सहमत हूं। यह सही है कि स्वास्थ्य विभाग के जो इंस्पैक्टर फर्मों में जा कर जांच करते हैं—दवाइयां बनाने की, उन का कर्त्तव्य है कि वे यह भी देखें कि वहां जो उपकरण हैं, मशीनें हैं, दवाइयों के प्रयोग में आने वाली वस्तुएं हैं, वे समुचित रूप से ठीक है या नहीं। अगर वे इस को नहीं देखते हैं, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, तो वे सजा के भागी हैं। उन के ऊपर उचित और सख्त-से-सख्त कार्यवाही की जायगी। इस बारे में कोई भी सन्देह सम्मानित सदस्य के दिमाग में नहीं उठना चाहिए।

SHRI K. MALLANNA: I want to speak in my own language.

MR. SPEAKER: We will appoint translators for various languages.

SHRI VAYALAR RAVI: We are grateful for your announcement to appoint translators for as many languages as possible.

(Interruptions)

SHRI A. BALA PAJANOR: I want to congratulate you for announcing to appoint translators. Even after 30 years of Independence we are not able to solve this problem. For the past half-an-hour, I am trying to understand what is going on here.....

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN: May I suggest a compromise solution? As a symbolic gesture, the Speaker may possibly interpret this question.

SHRI A. BALA PAJANOR: Sir, for the past half-an-hour I am trying to understand what is going on here and for the Question Hour we are spending lakhs and lakhs of rupees.

(Interruptions)

श्रीमती अहिल्या पो० रांगनेकर : अध्यक्ष महोदय, यहां मराठी का इन्तजाम भी नहीं है, इस लिए मराठी में भी इन्तजाम होना चाहिए। श्री यशवंतराव चह्वाण यहां इतने साल रहे, फिर भी मराठी का इन्तजाम नहीं है।

श्री उग्रसेन : अध्यक्ष महोदय, अपनी भाषा में बोलने की हर एक को इजाजत होनी चाहिए, इन को अपनी भाषा में प्रश्न पूछने दीजिए।

MR. SPEAKER: Let me explain the position. We are trying to appoint as many translators as possible; but the difficulty is that we don't get good translators. We have written to the government departments; we have written to the State governments to recommend suitable names for translators.

AN HON. MEMBER: The State government has nothing to do with all these things. *(Interruptions)**

MR. SPEAKER: Don't record anything, excepting what I say. *(Interruptions)** Please sit down. Why don't you hear me? *(Interruptions)* I have explained to you. We have written to every State government. We are also trying to get people from other sources. We are trying to test them. We are trying to get as many good translators in all the regional languages as possible. But one thing I will not do. I will neither request the Leader of the Opposition to translate, nor will the Speaker translate.

SHRI N. SREEKANTAN NAIR: For Heaven's sake, please save us from this English translator. We don't hear and he does not know English. Please appoint somebody who knows it.

SHRI A. BALA PAJANOR: The translator is all right. I don't agree with Mr. Nair. The translator is not bad.

*Not recorded.

श्री उग्रसेन : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं आप के बारे में ही कह रहा हूं। आप ने अभी कहा है कि जो कुछ पहले हो गया है, वह रिकार्ड नहीं होगा, मैं जानना चाहता हूं कि आप ने जो कहा है उसके बाद का रिकार्ड नहीं होगा या पहले का भी काट दिया जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : अच्छी बात है।

SHR K. MALLANNA: Is it a fact that the manufacturers are allowed to manufacture adulterated drugs, and that government allowed these manufacturers to sell at a lower prices? What is the reaction of the government when prices are lower or when they decrease? What steps have been taken?

श्री राज नारायण : जहां तक भारत सरकार की जानकारी है, न तो उन के बनाने में एडल्टरेशन करने की अनुमति दी जाती है और न कम कीमत पर बेचने की इजाजत दी जाती है।

SHRI VAYALAR RAVI: But they are doing it.

SHRI RAJ NARAIN: We are going to take action against them.

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय, आप के माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि पिछली बार मध्य प्रदेश के इन्दौर शहर में बहुत बड़े पैमाने पर नकली दवाइयां बनाने वाले कारखाने पर छापा डाल कर, दवाइयां पकड़ी गई थीं और उसकी सी० बी० आई द्वारा जांच की गई थी। अब तक उस के क्या रिजल्ट्स सामने आए हैं। मंत्री महोदय बहुत होशियार हैं और साफ़ बात कहना चाहते हैं, इसलिए मैं इस का जवाब 25 मिनट में चाहता हूं।

श्री राज नारायण : श्रीमन् माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, वह इस प्रश्न से पैदा नहीं होता।

श्री जनेश्वर मिश्र : मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो नागपुर की फर्म है या कानपुर की फर्म है या इसी तरह की जितनी दवाई निर्माता कम्पनियां हैं, क्या उन को छः महीने पहले लाइसेन्स दिया गया था और पिछली सरकार ने लाइसेन्स दिया था ? अगर दिया था तो उस समय के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के विरुद्ध आप की सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री राज नारायण : यह सही है कि यह लाईसेंस पहले की सरकार के द्वारा दिये गये थे। मैं सम्मानित सदस्य श्री जनेश्वर मिश्र जी की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि कल 29 जुलाई से सारे देश—चाहे संघ शासित क्षेत्र हों, चाहे राज्य हों—के स्वास्थ्य सचिवों और स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन हो रहा है। कल 11 बजे से स्वास्थ्य सचिवों का सम्मेलन होगा जिसमें विचार किया जाएगा कि ऐसी कम्पनियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई और आगे क्या कार्यवाही हो सकती है। इसमें ऐसे उपायों पर भी विचार किया जाएगा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। स्वास्थ्य चूंकि राज्य सरकारों का विषय है, इसलिए हम उनसे निवेदन करते रहते हैं और जब जब अवसर आता है हम राज्यों के मंत्रियों का सम्मेलन और सचिवों का सम्मेलन बुलाया करते हैं। पिछले चार महीनों में इस तरह की दो बैठकें हो चुकी हैं। इस बैठक में हमने डा० कर्णसिंह जी को और डा० सुशीला नायर को भी आमन्त्रित किया है। लेकिन डा० कर्ण सिंह जी ने हमें सूचित किया है कि वे कहीं बाहर जा रहे हैं इसलिए

वे इसमें भाग नहीं ले सकेंगे। इस तरह हम उनके गुणकारी और लाभकारी सुझावों से वंचित रह जाएंगे।

डा० बलदेव प्रकाश : क्या माननीय मंत्री जी के ध्यान में है कि यह जो एडल्ट्रेशन हो रही है वह एडल्ट्रेशन बिना इंस्पैक्टर्स की कनाइवेंस के नहीं हो सकती है। यह जो आप नया एक्ट बना रहे हैं जिसमें एडल्टरेटर्स के लिए आजीवन कारावास का प्रोविजन होगा, क्या आप उसमें एडल्टरेटर्स के साथ सुपरवाईजर्स और इंस्पैक्टर्स को भी शामिल करेंगे जिनकी लापरवाही के कारण ऐसी ड्रग्स बनायी जा रही हैं? उनकी लापरवाही के बगैर तो यह हो ही नहीं सकता है।

श्री राज नारायण : सम्मानित सदस्य ने जो प्रश्न किया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हम नये विधेयक पर विचार कर रहे हैं, उसकी समविदा अभी विचाराधीन है। अभी तो पुराना एक्ट ही लागू है। हमारा प्रस्ताव है कि ऐसे लोगों को कैपिटल पनिशमेंट मिले। बिल द्वारा इस सदन के सामने आयेगा उस समय डा० बलदेव प्रकाश अपना संशोधन रख सकते हैं। अगर उस संशोधन को सदन मान लेगा कि उसमें सुपरवाइजर और इंस्पैक्टर्स को भी शामिल कर लिया जाए तो सदन की राय सर्वोपरि होगी और हमें उसके मानने में कोई ऐतराज नहीं होगा। मगर मात्रा भेद और गुणभेद, अर्थात् क्वान्टिटेटिव चेज और क्वालिटिटेटिव चेंज में बराबर हम को विवेक के साथ विचार करके कानून की व्यवस्था करनी होगी।

श्री यज्ञदत्त शर्मा : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री महोदय की जानकारी में है कि आयुर्वेद की अनेक शास्त्रीय औषधियों को अनेक प्रकार के नये नाम देकर के उनका निर्माण किया जा रहा है। इस प्रकार से खरीदारों का शोषण होता है और दवाओं का विकृतिकरण किया जाता है? क्या सरकार इसके बारे में कोई ध्यान देगी?

श्री राज नारायण : पंडित यज्ञदत्त शर्मा जी हमारे परम मित्र हैं। पंडित जी के सवाल का जवाब मैं क्यों न दूं यद्यपि इस प्रश्न से उसका सीधा सम्बन्ध नहीं है। (**व्यवधान**) अब अगर खींच कर इसका सम्बन्ध जुड़ जाता है तो बात अलग है। हमने पहले ही सम्मानित सदस्यों को अवगत करा दिया है कि आयुर्वेदिक और यूनानी दवाएं बनाने के लिए हम रानीखत में एक कारखाना खोल रहे हैं और वहां हिमालय की पहाड़ियों पर जितनी जड़ी बूटियां हैं उनकी खोज करके, उनको सुधार करके समुचित रूप से अच्छी दवाओं का निर्माण किया जाएगा। जितने बड़े पैमाने पर फैक्ट्री में दवाओं का निर्माण होगा उतना ही ज्यादा उनका गुणकारी, लाभकारी प्रभाव होगा। जहां तक मिलावट का प्रश्न है उसको रोकने के लिए हम लगातार प्रयत्नशील है।

India Population Project

*667. SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government launched India Population Project;

(b) if so, with whose assistance?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) जी, हां।

(ख) विश्व बैंक के जरिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ और स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण की सहायता से।

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: May I know the details of the project?

श्री राज नारायण : मैं फिर आपकी शरण में आ रहा हूं। आज तक किसी मंत्री महोदय के उत्तर से दस साल तक संसद् में विरोधी पक्ष घबराता नहीं रहा लेकिन हमारे उत्तर से विरोधी पक्ष इसलिए घबराता है कि वह सोचता है कि तीस साल तक सारे